न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/50/2019

प्रवेश तिथि 20.08.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्रीमती सोमौती पत्नि लक्ष्मीनारायण, निवासी–तुलेडा, हाल निवासी–विरजापुर, पोस्ट–धोलीप्याऊ, मथुरा		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कार्यालय से उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 30.06.19 के माध्यम से मौजा तुलेडा, तहसील–अलवर में पट्टा आवंटन पत्रावली दिनांकः 20.03.1978 संबंधी विविध 13 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई।
4. आवेदक को प्रत्यर्थी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस के माध्यम से तलब किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 3715 दिनांकः 05.09.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी को प्रेषित नोटिस अपीलार्थी द्वारा पूर्ण पता अंकित नहीं किए जाने के कारण लिफाफा वापस अदम तामिल प्राप्त हुआ अतः अपीलार्थी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रही।
6. हमने अपील में वर्णित तथ्यों, प्रथम आवेदन दिनांकः 30.06.19 में वांछित सूचना व प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब पर गौर किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांकः 30.06.19 के माध्यम से ग्राम–तुलेडा, तहसील–अलवर में दिनांकः 20.03.1978 को हुए पट्टा आवंटन संबंधी पत्रावली व तत्संबंधी अन्यान्य कुल 13 बिन्दुओं पर प्रत्यर्थी से सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आवेदन दिनांकः 30.06.19 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः राजस्व/19/3636 दिनांकः 16.08.19 के माध्यम से इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है कि " कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांकः 20.03.1978 को कोई आवंटन नहीं किया गया है, आवंटन का सही दिनांक व पट्टे की प्रति या पट्टा क्रमांक/आवेदन क्रमांक से अवगत कराये जाने पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। " उक्त पत्र के माध्यम से प्रेषित सूचना भी आवेदक द्वारा पूर्ण पता अंकित नहीं किए जाने के कारण लिफाफा वापस मूल ही प्रत्यर्थी विभाग को प्राप्त हुआ जिसकी छायाप्रति जवाब नोटिस के साथ संलग्न की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

7. उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः राजस्व/19/3636 दिनांकः 16.08.19 के माध्यम से किया गया विनिश्चय उचित है। प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा पूर्ण विशिष्टियाँ अंकित कर पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने पर सूचना उपलब्ध कराई जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित ।

16-9-19

(भगवतसिंह देवल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)